

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 19.03.2023 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त पर्वत सिंह पुत्र स्व0 शिवसिंह निवासी जगन्नाथपुर का डेरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1.पुतानी सिंह पुत्र शिव बरन सिंह 2.सुधीर कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासीगण शेरपुर तरौंदा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात 3. नीतू दुबे पुत्र लाला दुबे निवासी लौधीपुर थाना गजनेर कानपुर देहात 4. पृथ्वीपाल पुत्र सुखलाल पासी निवासी मनैथू थाना गजनेर कानपुर देहात 5. राजू सिंह पुत्र बौधे सिंह निवासी सैंथा थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, 6. मनोज पुत्र बुद्धू निवासी कंजड़डेरा सैंथा थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. अतरे पुत्र रामचन्द्र निवासी नवीपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात, 2. जसवन्त पुत्र श्रीबाबू निवासी नवीपुर नागिनजसी थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तगण 1. राजाबाबू पुत्र रामसनेही निवासी मुंगीसापुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात, 2. मेहताब पुत्र समशाद निवासी मोहम्मदपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आलोक त्रिपाठी पुत्र अनुरुद्ध त्रिपाठी निवासी ग्राम गौर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर को 15 अदद देशी ट्रेटा पाउच ट्विन टावर ब्राण्ड शराब नाजायज सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अनिल पुत्र स्व0 जवाहरलाल निषाद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम नगीना बांगर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को 30 अदद देशी ट्रेटा पाउच ट्विन टावर ब्राण्ड शराब नाजायज सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना रनिया पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।